(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 24/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/98

बउनवान

चेतन माहेश्वरी पुत्र श्री हुकमचंद माहेश्वरी जाति महाजन निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छबडा के नामान्तरकरण संख्या 2083 दर्ज दिनांक 10.02.2024 निरस्त दिनांक 03.07.2024 वाके ग्राम बापचा तहसील छबड़ा की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.07.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा नामान्तरकरण संख्या 2083 दर्ज दिनांक 10.02.2024 एवं निरस्त दिनांक 03.07.2024 वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 30.05.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ मे खाता संख्या 102 खसरा नमबर 753/3 क्षेत्रफल 0.8725 भूमि अपीलांट के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि 03 बीघा 09 बिस्वा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई थी जिसमें से 1225 वर्गमीटर भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(3) राजस्व/2012/1999–2006 दिनांक 22.03.2012 से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु) संपरिवर्तित कराया हुआ है जिसमें वर्तमान में पेट्रोल पंप स्थापित एवं संचालित है। उक्त संपरिवर्तन आदेश के अनुसार इंतकाल खोलने हेतु कार्यवाही रेस्पो. के समक्ष प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का बापचा द्वारा दिनांक 23.02.2024 को मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें 1225 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन होना स्पष्ट किया गया। मूल खसरा नं. 753/3 रकबा 0.8725 के नये खसरा नंबर 757/753 क्षेत्रफल 0.7470 एवं 756/753 क्षेत्रफल 0.1255 किया जाकर इंतकाल की प्रक्रिया में प्रस्तावित नयी प्रविष्टि में दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में खसरा नंबर 756/753 क्षेत्रफल 0.1225 पेट्रोल पंप दर्ज होना था। उक्त त्रुटि के कारण रेस्पोडेन्ट ने संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल सही नहीं होना अंकित कर इंतकाल नंबर 2083 दिनांक 10.02.2024 को दिनांक 03.07.2024 को निरस्त फरमा दिया। क्षेत्रफल की गणना में हुई त्रुटि के आधार [illegible] निरस्त कर भूल की है। खसरा नंबर 753/3 का कुल क्षेत्रफल 0.8725 इंतकाल में दर्ज है [illegible] संपरिवर्तन क्षेत्रफल 0.1225 कम करने पर क्षेत्रफल 0.7500 शेष रहता है। गणना की भूल के कारण [illegible] अंतर दर्ज हुआ है जो दुरूस्त होने योग्य है। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट को दिनांक [illegible]2024 को होने पर नकल हेतु दिनांक 20.05. 2024 को आवेदन पेश करने पर 20.05.2024 को नकल [illegible] हुई। अतः नकल प्राप्ति से अपील अवधि मध्य पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:51:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर संपरिवर्तित आदेश दिनांक 22.02.2012 की पालना में संपरिवर्तित वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु) आदेश में दर्ज खसरा नंबर 756/753 क्षेत्रफल 0.1225 वर्गमीटर भूमि का इंतकाल पेट्रोल पंप एवं खसरा नंबर 757/753 क्षेत्रफल 0.7500 वर्गमीटर बारानी तृतीय दर्ज की जाकर इंतकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा कहा गया कि ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारॉ मे खाता संख्या 102 खसरा नमबर 753/3 क्षेत्रफल 0.8725 भूमि अपीलांट के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि 03 बीघा 09 बिस्वा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई थी जिसमें से 1225 वर्गमीटर भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(3) राजस्व/2012/1999–2006 दिनांक 22.03.2012 से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु) संपरिवर्तित कराया हुआ है जिसमें वर्तमान में पेट्रोल पंप स्थापित एवं संचालित है। उक्त संपरिवर्तन आदेश के अनुसार इंतकाल खोलने हेतु कार्यवाही रेस्पो. के समक्ष प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का बापचा द्वारा दिनांक 23.02.2024 को मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें 1225 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन होना स्पष्ट किया गया। मूल खसरा नं. 753/3 रकबा 0.8725 के नये खसरा नंबर 757/753 क्षेत्रफल 0.7470 एवं 756/753 क्षेत्रफल 0.1255 किया जाकर इंतकाल की प्रक्रिया में प्रस्तावित नयी प्रविष्टि में दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में खसरा नंबर 756/753 क्षेत्रफल 0.1225 पेट्रोल पंप दर्ज होना था। उक्त त्रुटि के कारण रेस्पोडेन्ट ने संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल सही नहीं होना अंकित कर इंतकाल नंबर 2083 दर्ज दिनांक 10.02.2024 को दिनांक 03.07.2024 को निरस्त फरमा दिया।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि उक्त संपरिवर्तन आदेश के अनुसार इंतकाल खोलने हेतु कार्यवाही रेस्पो. के समक्ष प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का बापचा द्वारा दिनांक 23.02.2024 को मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें 1225 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन होना स्पष्ट किया गया। मूल खसरा नं. 753/3 रकबा 0.8725 के नये खसरा नंबर 757/753 क्षेत्रफल 0.7470 एवं 756/753 क्षेत्रफल 0.1255 किया जाकर इंतकाल की प्रक्रिया में प्रस्तावित नयी प्रविष्टि में दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में खसरा नंबर 756/753 क्षेत्रफल 0.1225 पेट्रोल पंप दर्ज होना था। उक्त त्रुटि के कारण रेस्पोडेन्ट ने संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल सही नहीं होना अंकित कर इंतकाल नंबर 2083 दर्ज दिनांक 10.02.2024 को दिनांक 03.07.2024 को निरस्त फरमा दिया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को सुना जाकर संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक क्षेत्रफल की सही जांच की जाकर अन्दर 01 माह नामान्तरकरण के संबंध में विधिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **08.07.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:51:24 IST
Reason: SelfAttested